PRESS INFORMATION BUREAU
पत्र सूचना कार्यालय
GOVERNMENT OF INDIA
भारत सरकार

Nai Dunia, Delhi
Thu, 01 Sep 2016, Page 4
Width: 24.50 cms, Height: 16.12 cms, a4r, Ref: 37.2016-09-01.45

नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले को 10 साल कैद

धारा 363 व 366 के तहत पांच-पांच साल और 376 में 10 साल कारावास

रायपुर। ब्यूरो

नाबालिग (लड़की) को बहला फुसलाकर सीस-पेंसिल दिलाने के बहाने सुनसान इलाके में ले जाकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को सप्तम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पंकज कुमार सिन्हा की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई है। भारतीय दंड विधान की धारा 363, 366 के तहत पांच-पांच साल और 376 व धारा 04 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अधीन 10 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है।

घटनाक्रम इस प्रकार है - 2 मार्च 2015 को शाम 6-7 बजे एकता नगर नहर पार गुढ़ियारी के अभियुक्त दिनेश कुमार वर्मा (जंघेल) 24 साल ने गुढ़ियारी की रहने वाली नाबालिग लड़की को सीस-पेंसिल दिलाने के बहाने बहला फुसलाकर ले गया और दुष्कर्म किया।

इसकी रिपोर्ट 3 मार्च 2015 को गुढ़ियारी थाने में नाबालिग की मां ने दर्ज कराई। दर्ज रिपोर्ट के अनुसार 2 मार्च को सुबह 9 बजे लड़की की मां अपने चारों बच्चों को घर में छोड़कर मजदूरी करने गोंदवारा गई थी और शाम करीब 7 बजे वापस आई तो दूसरे नंबर की 9 साल की पुत्री घर पर नहीं थी। खोजबीन के दौरान शाम 7.30 बजे पीड़िता घर आई और रो-रो कर बताया कि मोहल्ले का दिनेश वर्मा उसे घुमाने और पेंसिल दिलाने के बहाने साइकिल पर बिठाकर रेलवे क्रॉसिंग के आगे सुनसान खंडहर में ले गया और धमकी देकर उसके साथ गलत काम किया।

फिर किसी को नहीं बताने की बात कहकर मुझे सीस-कटर दिया और मोटरसाइकिल से घर लाकर छोड़ दिया। लड़की की मां ने पति के घर पहुंचने के बाद पीड़िता के साथ थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। पीड़िता की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक गजेन्द्र सोनकर ने पैरवी की थी।